**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14098/2025

Rajendra Prasad S/o Shri Vedram, Aged About 44 Years, R/o Sirthali, Police Station Nagar, District Deeg (Rajasthan) (At Present Confined In District Jail Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Poonam Chand Sharma |
| For Respondent(s) | : | Mr. Amit Kumar Gupta, PP |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI**

**Order**

**12/11/2025**

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान के अन्तर्गत पुलिस थाना रैणी, जिला अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 224/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 30.08.2025 से अभिरक्षा में है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक के द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

हमने दोनों पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 30.08.2025 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्त के

विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण होकर आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा कार्यवाही में समय लगने की संभावना है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु पचास हजार रूपये का बन्ध–पत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो प्रार्थी–अभियुक्त **राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री वेदराम** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

NIMIT GOYAL /206